## नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2012

का.नि.आ. 96.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (सुरक्षा) अराजपित्रत पद भर्ती नियम, 1998, जहां तक इसका संबंध सुरक्षा सहायक ग्रेड 'क', सुरक्षा सहायक 'ख' तथा सुरक्षा सहायक 'ग' के पदों से है, का उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में समूह 'ग' (सुरक्षा) के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (सुरक्षा) पद भर्ती नियम, 2012 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पदों का नाम, संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.**—उक्त पदों का नाम, संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा उनसे जुड़े वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. पदों की भर्ती, आयु-सीमा, तथा अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उन पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
  - 4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—
    - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया हो, या
    - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सुरक्षा सहायक 'ग'	40* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय		चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं (9)(7)(8)लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी अथवा प्रोन्नित द्वारा प्रोन्नित अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा समावेशन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, अथवा प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता (10)(11)**प्रोन्नति**: ऐसे सुरक्षा सहायक 'ख' जिन्होंने 5200-20200 रु. के वेतन बैंड-1+ प्रोन्नति द्वारा 2400 रु. ग्रेड वेतन में उस पद पर पांच वर्ष की सेवा नियमित सेवा की हो। टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा पूरी कर ली है, वहां उनसे वरिष्ठ ऐसे व्यक्तियों के संबंध में भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक सेवा, अपेक्षित सेवा, अर्हक सेवा के आधे या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा योग्यता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । यदि विभागीय प्रोन्नित समिति है, तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा (12)(13)विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित पर विचार करने के लिए) लागू नहीं होता संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह —अध्यक्ष में भाग लेने वाली रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की प्रयोगशालाएं अथवा स्थापना का कोई एक निदेशक अथवा प्रमुख संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह -सदस्य में भाग लेने वाली प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं से ऐसे अधिकारी जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-॥ से कम का अधिकारी न हो अथवा उसके समतुल्य हो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I की पंक्ति से अन्यून —सदस्य का अधिकारी या वैज्ञानिक 'ग' या समतुल्य जो संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति-॥ समृह की स्थापना/प्रयोगशाला के किसी गठन से संबंधित न हो।

—सदस्य

अधिकारी जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-II से कम का अधिकारी न हो अथवा उसके समतुल्य हो

ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–I की पंक्ति से अन्यून का कोई अधिकारी या वैज्ञानिक 'ग' या समतुल्य जो संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति-॥ समृह की स्थापना/प्रयोगशाला के किसी गठन से संबंधित न हो।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
सुरक्षा सहायक 'क'	65* (2012) स	ाधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड-1,	लागू नहीं हो	ता 18 से 27 वर्ष के बीच	
	*कार्यभार के से	वा, समूह 'ग',	5200-20200 চ.		टिप्पण : अभ्यर्थियों के मामले में आयु-	
	आधार पर अ	ाराजपत्रित,	+ ग्रेड वेतन		सीमा अवधारित करने की निर्णायक	
	परिवर्तन किया अ	ानुसचिव <u>ी</u> य	1900 ক.		तारीख पदों के लिए रक्षा अनुसंधान औ	
	जा सकता है।				विकास विभाग के विज्ञापन में यथा	
					विनिर्दिष्ट आवेदन प्ररूप की प्राप्ति की	
					अंतिम तारीख होगी ।	
(7)			(8)	)	(9)	
(i) बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या			लागू नहीं	होता	दो वर्ष । सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों को	
समतुल्य भूतपूर्व सैनिकों के मामले में सशस्त्र बलों					इस श्रेणी में अपनी पुष्टि से पहले उन्हे	
द्वारा प्रदत्त समतुल्य प्रम					विहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर	
(ii) शारीरिक स्वस्थत	ा और श्रमसाध्य कर्तव्य	Г			करना होगा ।	
करने की क्षमता।						
(10)				(11	<b>\</b>	
(10)			(11)			
सीधी भर्ती द्वारा				लागू नहीं	<sup>-</sup> होता	
(12)			(13)			
विभागीय प्रोन्नित समिति (पुष्टि पर विचार करने के			लिए )	7	नागू नहीं होता	
1. संबद्ध स्थापन या	प्रयोगशाला का प्रमुख		—अध्यक्ष			
2. संबद्ध स्थापन या	प्रयोगशाला के दो ज्येष	उ अधिकारी	—सदस्य			
	स्थापन या मुख्यालय स ध प्रयोगशाला/स्थापना 1 अधिकारी		—सदस्य			

[फा. सं. डीएचआरडी/87661/आरआर/सुरक्षा संवर्ग/सी/पी/01]

संगीता राव, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम का.नि.आ. 15(अ), तारीख 29 मई, 1988 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

## New Delhi, the 31st October, 2012

- S.R.O. 96. In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' (Security) posts Recruitment Rules, 1998 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment relating to the post of Security Assistant 'C', Security Assistant 'B' and Security Assistant 'A' in the Ministry of Defence, Department of Defence Research and Development Organisation, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation Group 'C' (Security) posts Recruitment Rules, 2012.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- **2.** Name of post, number, classification, pay band and grade pay/pay scale.—The name of post, number, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be specified in columns (1) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.
- **3.** Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
  - Disqualifications.—No person,—
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

## **SCHEDULE** Name of Number of Classification Pay band and Whether Age limit for direct recruits post posts grade pay or selection pay scale post or nonselection post (1) (2)(3) (4)(5)(6)40\* (2012) General Central Pay Band-1, Security Selection Not applicable Assistant 'C' \*Subject to Service, Group 'C', Rs.5200 variation Non-Gazetted, 20200 plus Non-Ministerial dependent grade pay of on work load. Rs. 2800 Educational and other qualifications required Whether age and educational Period of probation, if any for direct recruits qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees (7)(9)(8) Not applicable Not applicable Not applicable **Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or In case of recruitment by promotion or deputation or absorption by promotion or by deputation or absorption and percentage grades from which promotion or deputation or absorption of the vacancies to be filled by various methods to be made (10)(11)Promotion: Security Assistant 'B' with five years regular By promotion service rendered in the post in Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 2400.

(11)Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. If a Departmental Promotion Committee exists; what is its Circumstances in which Union Public Service composition? Commission is to be consulted in making recruitment (12)(13)**Departmental Promotion Committee (for considering** Not applicable. promotion):-1. Director or Head of one of Defence Research —Chairman and Development Organisation Laboratories or Establishments participating in respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group An officer not below the rank of Senior Administrative -Member Officer Grade II or equivalent from the participating Laboratories/Establishments in the respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group An officer of the rank not below Senior Administrative -Member Officer Grade I or Scientist 'C' or equivalent who does not belong to any of the constituent Establishment/ Laboratory of the respective Departmental Promotion Committee-II Group (1) (2) (3) (4)(5)(6)Security 55\* (2012) General Central Pay Band-1, Not applicable Not applicable 20200 plus variation Non-Gazetted, dependent Non-Ministerial grade pay of on work Rs. 2400 load. (7)(8) (9)Not applicable Not applicable Not applicable (10)(11)By promotion Promotion: —Security Assistant 'A' with eight years regular service rendered in the post in Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1900.

training course before their

confirmation in the grade.

(11)Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. (12)(13)**Departmental Promotion Committee (for considering** Not applicable. promotion):-Director or Head of one of Defence Research —Chairman 1. and Development Organisation Laboratories or Establishments participating in respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group An officer not below the rank of Senior -Member Administrative Officer Grade II or equivalent from the participating Laboratories/Establishments in the respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group An officer of the rank not below Senior -Member Administrative Officer Grade I or Scientist 'C' or equivalent who does not belong to any of the constituent Establishment/Laboratory of the respective Departmental Promotion Committee-II Group (1)(2) (3) (4) (5)(6) Security 65\* (2012) General Central Pay Band-1, Between 18 and 27 years. Not applicable Assistant 'A' \*Subject to Service, Group 'C', Rs.5200— The crucial date for determination variation Non-Gazetted, 20200 plus of the age limit in the case of dependent Non-Ministerial Grade Pay of candidates shall be the last date of on work load. Rs. 1900 receipt of application form as specified in the advertisement of Defence Research and Development Organisation for the posts. (7)(8)(9)(i) 12th class pass or equivalent from a recognised Board Not applicable Two years. The direct recruits or University or equivalent certificate awarded by Armed will have to successfully complete the prescribed Forces in the case of Ex-Servicemen.

(ii) Physical fitness and capability to undertake strenuous

duties.

	(10)	(11)			
Ву	Direct Recruitment.	Not applicable			
	(12)	(13)			
	<b>Departmental Promotion Committee</b> (for considering promotion):—	Not applicable.			
1.	Head of the concerned Establishment or Laboratory	—Chairman			
2.	Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory	—Member			
3.	An officer from another Laboratory/Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the member of the concerned Laboratory/Establishment	—Member			

[F. No. DHRD/87661/RRs/Security Cadre/C/P/01]

SANGEETA RAO, Under Secy.

Note: The principal rules was published vide numer S.R.O. 15(E) dated the 29the May 1998.

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2012

का.नि.आ. 97.—राष्ट्रपित, के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (प्रशासन और भंडार पद) भर्ती नियम, 1993, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (प्रशासन) पद भर्ती नियम, 1998, को जहाँ तक उसका संबंध प्रशासनिक अधीक्षक, प्रशासनिक सहायक 'सी', प्रशासनिक सहायक 'बी', और प्रशासनिक सहायक 'ए' के पदों से है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, प्रशासनिक अधिकारी पद भर्ती नियम, 1999 का उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में प्रशासनिक पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, प्रशासिनक समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
  - 2. लागू होना--ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विर्निदिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. **पदों का नाम, संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पदों की, संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन वेतनमान वे होगें, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, और अन्य अर्हता.— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हता और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
  - निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
    - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
    - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।